

क्र.सं.9 (नोट)

विशेष प्रक्रिया के तहत अधिनिर्णित नोटों के लिए, जो सामान्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त हों, बैंक खाते में विनिमय मूल्य के क्रेडिट के लिए आवेदन

महाप्रबंधक
निर्गम विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक

----- (कार्यालय का नाम)

प्रिय महोदय/ महोदया,

सामान्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त बैंक नोटों की स्वीकृति के लिए आवेदन

मेरे पास निम्नलिखित नोट हैं जो बेहद खस्ताहाल, बुरी तरह से जले हुए या बुरी तरह से चिपके हुए हैं और इसलिए, सामान्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सुविधानुसार भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियमों के अंतर्गत इन नोटों पर निर्णय लेने की तारीख नियत करें और विनिमय मूल्य को मेरे बैंक खाते में क्रेडिट करें जैसा कि पैरा 5 में दिया गया है।

क्र.सं.	मूल्यवर्ग (₹)	बैंक नोटों की संख्या	दावा किया गया मूल्य (₹)
1	1/-		
2	2/-		
3	5/-		
4	10/-		
5	20/-		
6	50/-		
7	100/-		
8	200/-		
9	500/-		
10	2000/-		
TOTAL			

- मैं एतद्वारा निर्णय के दौरान नोटों को हुए किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी लेता हूं और वचन देता हूं कि उक्त नोटों के संबंध में आपके निर्णय को स्वीकार करूँगा और इसे अंतिम मानूँगा।
- मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि मैं आवंटित तिथि/समय पर उपस्थित होने में असमर्थ हूं तो आपके द्वारा किया गया अधिनिर्णयन और भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियमों के तहत पारित विनिमय मूल्य मुझे स्वीकार्य होगा।

4. व्यक्तिगत विवरण

नाम	डाक का पता	संपर्क नंबर	ओवीडी प्रकार और क्रमांक @	ईमेल आईडी

@ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) - आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / नरेगा कार्ड / पैन कार्ड / सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र,

5. बैंक खाते का विवरण जिसमें स्वीकार्य राशि के क्रेडिट का अनुरोध किया गया है:

खाताधारक का नाम	खाता क्रमांक	खाते का प्रकार	बैंक का नाम	शाखा का नाम और पता	आईएफएससी कोड	पैन क्रमांक

6. वचनबद्धता:

- मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए नोटों की जांच की जाएगी और यदि मेरी निविदा में कोई जाली नोट/दोषपूर्ण/कटे-फटे/बिल्ट-अप नोट पाए जाते हैं/पाए जाते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसाधित/अधिनिर्णित किया जाएगा और केवल उसके लिए स्वीकार्य मूल्य ही मुझे देय होगा।
 - मेरी निविदा में जाली नोट पाए जाने के मामले में इस संबंध में मौजूदा सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मामले की सूचना पुलिस को दी जा सकती है।
 - यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत खाता विवरण गलत है और/या खाता पूरी तरह से केवाईसी अनुपालन नहीं करता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
 - मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी विवरण/घोषणाएं मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।
- भवदीय/या,

(दिनांक के साथ हस्ताक्षर)
(नाम)

संलग्न :

- i. ओवीडी की कॉपी
- ii. पासबुक के बैंक खाता विवरण (खाता विवरण के साथ भाग) या प्रथम पृष्ठ (खाता विवरण के साथ) की प्रति

कृपया ध्यान दें:

केवल वे नोट जो सामान्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं, उन्हें विशेष प्रक्रिया के तहत अधिनिर्णीत किया जाएगा।

अधिनिर्णयन के लिए दिये गए नोटों की वापसी या निरीक्षण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।